विविध बैंक प्रकरण संख्या 134/2019 (RCMS 2019/00241) एच.डी.एफ. सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस – एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम), मुम्बई–400013 तथा शाखा कार्यालय टाइम्स स्कवायर्स, 10 सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर बनाम 1. मैसर्स कृष्णा ऑटोमोबाईल्स– प्रो हिमानी कंवर 2. हिमानी कंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह 3. विरेन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह **निवासी वार्ड नं 10, पुराना बस स्टेण्ड के पास, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार भारद्वाज उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 01.01.2020 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. कृष्णा ऑटोमोबाईल्स – प्रो. हिमानी कंवर, हिमानी कवंर एवं विरेन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 2.00 करोड़ रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 18.08.2017 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विरेन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति प्लॉट वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 2) (क्षेत्रफल 30 गुणा 60 वर्गफीट) तहसील अनूपगढ में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 27.05.2019 को 2,06,36,399/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 03.06.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों मै. कृष्णा ऑटोमोबाईल्स – प्रो. हिमानी कंवर, हिमानी कंवर एवं विरेन्द्र सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी विरेन्द्र सिंह की उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 2) (क्षेत्रफल 30 गुणा 60 वर्गफीट) तहसील अनूपगढ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मै. कृष्णा ऑटोमोबाईल्स – प्रो. हिमानी कंवर, हिमानी कंवर एवं विरेन्द्र सिंह **को 2.00/– करोड़ रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 14.08.2016 को प्रदान की थी।** बैंक के प्रार्थना पत्र के अनुसार ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विरेन्द्र सिंह उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 2) (क्षेत्रफल 30 गुणा 60 वर्गफीट) तहसील अनूपगढ जो उसके पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 03.06.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** जिसकी रसीद एवं नोटिस प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही उक्त धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई ऋणी विरेन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति प्लॉट वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 2) (क्षेत्रफल 30 गुणा 60 वर्गफीट) तहसील अनूपगढ में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 03.06.2019 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 03.06.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. कृष्णा ऑटोमोबाईल्स – प्रो. हिमानी कंवर, हिमानी कंवर एवं विरेन्द्र सिंह को जारी किया गया है, की पोस्ट आफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है एवं नोटिस प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैट की प्रति भी पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही उक्त धारा 13(2) नोटिस पर अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा कोई आपत्तियां पेश की गई।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण.की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति प्लॉट वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 2) (क्षेत्रफल 30 गुणा 60 वर्गफीट) तहसील अनूपगढ जो ऋणी विरेन्द्र सिंह के नाम से है का अंकन प्रार्थी द्वारा बैंक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित नही है और प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस का जवाब अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा दिया गया है अथवा नहीं?, का शपथ पत्र भी नहीं दिया गया है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि सम्मत् नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक. लि. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2019 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई **जावे।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों के पालना करते हुए नये सिरे से सम्पूर्ण कार्यवाही कर, प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर